सत्र परीक्षण संख्या 1238/20213
सरकार बनाम ऋषि कौशिक आदि
धारा 307 भा०द०सं०
थाना–मोदीनगर, गाजियाबाद।

एवं
सत्र परीक्षण संख्या 1462/2013
सरकार बनाम अनुराग
धाारा 25 आयुध अधिनियम,
थाना–मोदीनगर,

04.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त ऋषि कौशिक की ओर से पुकार पर स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। न्यायहित में स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त अनुराग शर्मा अनुपस्थित है।

अभियुक्त अनुराग शर्मा के विरूद्ध जारी गैर जमानतीय अधिपत्र पर सम्बन्धित थाना मोदीनगर से इस आशय की आख्या प्राप्त हुई है कि उ०नि० प्रदीप कुमार थाना मोदीनगर द्वारा जांच की गयी और अभियुक्त के घर पर गये तो घर पर अभियुक्त की माता श्रीमती कैलाश देवी मिलीं। पूछने पर बताया कि उसके पुत्र अनुराग की करीब 15 वर्ष पूर्व शादी हुई थी तथा इसके बाद उसको मौहल्ला मुल्तानीपुरा में मकान लेकर दिया व अपनी पत्नी को छोड दिया तथा मकान भी बेच दिया, न ही उसकी पत्नी के बारे में उसे कोई जानकारी है और न ही पुत्र अनुराग के बारे में तथा करीब 13 वर्ष से लापता है पता नहीं कहां पर है। आसपास के संजय जैन व संजीव चौधरी ने भी बताया कि यह 13 वर्ष से लापता है कभी यहां नहीं देखा तथा सभासद सोनू ने भी बताया कि उसकी जानकारी के अनुसार यहां नहीं रहता तथा सभासद की लिखित तहरीर संलग्न है।

पत्रावली पर अभियुक्त अनुराग शर्मा की माता श्रीमती कैलाश देवी की ओर से इस आशय का शपथ पत्र दिनांक 12.11.2024 को दिया गया है कि प्रार्थिया ने अपने पुत्र अनुराग शर्मा के गलत आचरण के कारण अपने सभी सम्बन्ध समाप्त कर लिये हैं तथा अपनी सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। प्रार्थिया को अपने पुत्र अनुराग शर्मा का पता नहीं मालूम है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि अभियुक्त अनुराग शर्मा के विरूद्ध पूर्व में 82 द०प्र०सं० एवं 83 द०प्र०सं० की आदेशिकाएं भी जारी की जा चुकी है उसके बावजूद भी आवेदक/अभियुक्त का कोई पता नहीं चल पा रहा है। अभियुक्त के मूल पत्रावली के जामिनान विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 12.01.2016 को जमानत धनराशि जमा की गयी। इसी प्रकार जामिनान श्रीमती रजनी शर्मा द्वारा भी अपनी जमानत धनराशि दिनांक 01.11.2017 को न्यायालय में जमा की गयी तथा दोनों जामिनान को उनके दायित्व से उन्मोचित किया गया। सत्र परीक्षण संख्या 1462/13 सरकार बनाम अनुराग शर्मा धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त के जामिनान संजय एवं अनुराग गुप्ता द्वारा भी जमानत धनराशि न्यायालय में जमा की जा चुकी है तथा जामिनान को उनके दायित्व से उन्मोचित किया गया है।

उक्त मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 21.12.2023 को आरोप विरचित किया जा चुका है। अभियुक्त अनुराग शर्मा के लगातार अनुपस्थिति के कारण पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। चूंकि अभियुक्त के विरूद्ध सम्बन्धित थाने से इस आशय की आख्या प्राप्त हुई है कि वह लगभग 13 वर्ष से लापता है और न ही किसी के द्वारा देखा जाना कहा गया है। अभियुक्त अनुराग शर्मा काफी समय से फरार चल रहा है तथा निकट भविष्य में उसके न्यायालय में उपस्थित होने की सम्भावना प्रतीत नहीं हो रही है और उसके विरूद्ध पूर्व में धारा 82 द०प्र०सं० एवं 83 द०प्र०सं० की आदेशिकाएं भी जारी की जा चुकी है तथा जामिनान द्वारा जमानत धनराशि न्यायालय में जमा की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त अनुराग शर्मा को फरार घोषित किया जाता है। अतः अभियुक्त अनुराग शर्मा की पत्रावली पृथक किये जाने योग्य है।

अभियुक्त अनुराग शर्मा की पत्रावली पृथक की जाए। सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त अनुराग शर्मा की पत्रावली मूल पत्रावली से पृथक करें। उक्त पृथक पत्रावली में मूल पत्रावली के समस्त अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति रखी जाए। इस पत्रावली में तामीला वाहक उ०नि० प्रदीप कुमार थाना मोदीनगर का बयान अंकित कराया जाए। उक्त अंकित बयान की प्रमाणित

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2025.02.07 17:32:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रतिलिपि पृथक पत्रावली में रखी जाए। उक्त पृथक पत्रावली एवं सत्र परीक्षण संख्या 1462/13 सरकार बनाम अनुराग शर्मा धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त के विरूद्ध स्थायी वारंट जारी कर, तब तक पत्रावलियों को दाखिल दफ्तर न किया जाए, जब तक उक्त स्थायी वारंट की जी.डी. में एंट्री होकर प्राप्त न हो जाए। आदेश की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 1462/13 सरकार बनाम अनुराग शर्मा धारा 25 आयुध अधिनियम पर भी रख जाए।

वर्तमान हाजिर अभियुक्त ऋषि कौशिक की पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 14.02.2025 को पेश हो।

सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।